बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम 2011 से सम्बन्धित प्रश्नोत्तर

1. **प्रश्न :– बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम का उद्देश्य क्या है?**
   उत्तर :– बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम का उद्देश्य आम नागरिकों को एक निर्धारित समय सीमा के अंदर अधिसूचित लोक सेवाओं को प्रदान करना है।

2. **प्रश्न :– बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम, 2011 लागू होने की तिथि क्या हैं?**
   उत्तर :– यह अधिनियम 15 अगस्त, 2011 से प्रभावी माना जायेगा।

3. **प्रश्न :– बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत कौन–कोन सी सेवाएँ आती है?**
   उत्तर :– बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत तत्काल में जनहित से जुड़ी 10 विभागों की 50 सेवाओं को शामिल किया गया है। यथा, जाति /आवासीय/आय प्रमाणपत्र, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, चालक अनुज्ञप्ति, छात्रवृत्तियों का वितरण, दाखिल खारिज इत्यादि।

4. **प्रश्न :– बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम का लाभ कौन प्राप्त कर सकता है?**
   उत्तर :– इस अधिनियम के अन्तर्गत आने वाली किसी भी सेवा को प्राप्त करने के लिये उक्त सेवा के लिये निर्धारित मानदंड को पूरा करने वाला कोई भी व्यक्ति इसका लाभ प्राप्त कर सकता हैं।

5. **प्रश्न :– बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत नाम निर्दिष्ट लोक सेवक कौन है?**
   उत्तर :– नाम निर्दिष्ट लोक सेवक से तात्पर्य है सेवा उपलब्ध करने के लिए इस हेतु नामित पदाधिकारी। यथा, जाति/आवासीय/आय प्रमाणपत्र निर्गत करने के लिये अंचलाधिकारी को नामित किया गया है।

6. **प्रश्न :– बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत अपीलीय प्राधिकार कौन है?**
   उत्तर :– अपीलीय प्राधिकार वह पदाधिकारी हैं जिसके समक्ष आवेदक नामित पदाधिकारी के कृत्य से असंतुष्ट होने की स्थिति में अपील दायर कर सकता है। यथा, यदि किसी आवेदक को जाति प्रमाणपत्र नियत समय सीमा के अंदर प्राप्त नहीं होता है, तो वह अनुमंडल पदाधिकारी के समक्ष अपील दायर कर सकता है। अधिनियम के अन्तर्गत आने वाली प्रत्येक सेवाओं के लिये अपीलीय प्राधिकार नामित किये गये है।

7. **प्रश्न :– अपीलीय प्राधिकार के समक्ष अपील दायर कर सकता है?**
   उत्तर :– अपीलीय प्राधिकार के समक्ष सेवा प्रदान कराने में लापरवाही बरतने वाले संबंधित प्रदाधिकारी / उनके कनीय कर्मी के विरूद्ध अपील दायर की जा सकती हैं।

8. **प्रश्न :– अपीलीय प्राधिकार के समक्ष किन परिस्थितियों में अपील दायर की जा सकती है?**
   उत्तर :– अपीलीय प्राधिकार के समक्ष निम्न परिस्थितियों में अपील दायर की जा सकती है।
   (1) आवेदन को अस्वीकृत करने की स्थिति में,
   (2) सेवा से इंकार करने की स्थिति में,
   (3) सेवा में विलम्ब करने की स्थिति में,

9. **प्रश्न :– बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत पुनर्विलोकन प्राधिकार कौन है?**
   उत्तर :– पुनर्विलोकन प्राधिकार वह पदाधिकारी है जिसके समक्ष अपीलीय प्राधिकार के निर्णय से असंतुष्ट आवेदक या नाम निर्दिष्ट लोक सेवक अपील दायर कर सकते हैं। यथा, जाति प्रमाणपत्र के लिये जिलाधिकारी पुनर्विलोकन प्राधिकार है।

10. प्रश्न :– किन परिस्थितियों में पुनर्विलोकन प्राधिकार के समक्ष अपील दायर की जा सकती है?

उत्तर :– (1) अपीलीय प्राधिकार के किसी निर्णय से व्यथित होने की स्थिति में

(2) नामित पदाधिकारी द्वारा अपीलीय प्राधिकार के सेवा उपलब्ध कराने संबंधी आदेश का अनुपालन नहीं करने की स्थिति में

11. प्रश्न :– सेवा उपलब्ध कराने के लिये नियत समय सीमा क्या है?

उत्तर :– नियत समय सीमा, सेवा प्रदान करने के लिये निर्धारित अधिकतम कार्यदिवस है। यथा, जाति प्रमाणपत्र निर्गत करने के लिये 21 कार्यदिवसों की अधिकतम समय सीमा नियत की गई है, जिसके अंदर आवेदक को प्रमाणपत्र प्राप्त करने का अधिकार है।

12. प्रश्न :–सेवा उपलब्ध कराने की नियत समय सीमा की गणना किस प्रकार होगी?

उत्तर :– नाम निर्दिष्ट लोक सेवक अथवा उनके द्वारा अधिकृत कनीय कर्मी के समक्ष जिस तिथि को अधिसूचित सेवा के लिये आवेदन पत्र समर्पित किया जाएगा उस तिथि से नियत समय सीमा की गणना की जाएगी

उल्लेखनीय है कि इसमें केवल कार्यदिवस ही शामिल हैं। अर्थात्, नियत समय सीमा की गणना में सरकारी छुट्टियों, कार्यालय अवकाश या रविवार को शामिल नहीं किया जायेगा।

बिहार सरकार प्रत्येक अधिसूचित सेवा के लिए नियत समय सीमा अधिसूचित करेगी।

13. प्रश्न :–अपीलीय प्राधिकार के समक्ष अपील दायर करने की नियत समय सीमा क्या है?

उत्तर :– आवेदक आवेदन की अस्वीकृति की तिथि के 30 दिनों के अन्दर या नियत समय–सीमा की समाप्ति पर अपीलीय प्राधिकार के समक्ष अपील दायर कर सकता है।

कुछ विशेष परिस्थितियों में, अपीलीय प्राधिकार अपने विवेक से नियत समय सीमा के पश्चात् भी अपील को ग्रहण कर सकता हैं।

14. प्रश्न :–पुनर्विलोकन प्राधिकार के समक्ष अपील दायर करने की नियत समय सीमा क्या है?

उत्तर :– अपीलीय प्राधिकार द्वारा आदेश पारित किये जाने के अधिकतम 60 दिनों के अन्दर पुनर्विलोकन प्राधिकार के समक्ष अपील दायर की जा सकती है।

कुछ विशेष परीस्थितियों में, पुनर्विलोकन प्राधिकार अपने विवके से नियत समय सीमा के पश्चात् भी अपील को ग्रहण कर सकता हैं।

15. प्रश्न :– क्या आवेदन अस्वीकृत किये जाने की स्थिति में पावती देने का प्रावधान है?

उत्तर :– हाँ, आवेदन स्वीकृत हो या अस्वीकृत, दोनों ही स्थितियों में आवेदक को पावती उपलब्ध कराना अनिवार्य है।

16. प्रश्न :–क्या पावती रसीद प्राप्त कर लेने से सेवा प्राप्त करने की गारंटी हो जाती है?

उत्तर :– नहीं, पावती आवेदक से आवेदन प्राप्त करने की रसीद मात्र है। आवेदन पत्र एवं संलग्न दस्तावेजों की जाँच के उपरान्त दावा सही पाये जाने पर आवेदक को नियत समय सीमा के अंदर सेवा प्राप्त करने का अधिकार है।

17. प्रश्न :–क्या अधिनियम में दंड का भी प्रावधान है?

उत्तर– इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य नागरिकों को नियत समय सीमा में सेवा उपलब्ध कराना है। अगर सेवा प्रदान करने में लापरवाही बरती जाती है तो उन लापरवाह कर्मियों को दंडित किये जाने का प्रावधान भी हैं।

18. प्रश्न :– किन्हें दंडित किया जा सकता है?

उत्तर :– किसी भी सेवा के लिये नामित पदाधिकारी एवं उनके कर्मियों को सेवा प्रदान करने में लापरवाही बरतने (यथा, पर्याप्त कारणों के बिना सेवा में विलम्ब करना, सेवा से इंकार करने या गलत तरीके से आवेदन अस्वीकृत करना) की स्थिति में उन्हें दंडित किया जा सकता है।

इसके अलावा अगर अपीलीय प्राधिकार बिना पर्याप्त कारणों के अपील का निष्पादन करने में विलम्ब करता हैं तो उन्हें भी दंडित करने का प्रावधान है।

परन्तु सद्भाव में किये गये कार्य के लिये संरक्षण देने का भी प्रावधान हैं।

19. प्रश्न :– दंड की राशि क्या होगी?

उत्तर :–दंड की राशि निम्न प्रकार से होगी,

1. नामित पदाधिकारी द्वारा बिना पर्याप्त कारणों के सेवा उपलब्ध कराने में असफल रहने की स्थिति में या अपीलीय प्राधिकार द्वारा बिना पर्याप्त कारणों के अपील के निष्पादन में विलम्ब करने की स्थिति में–एकमुश्त राशि जो पाँच सौ रूपये से कम नहीं तथा पाँच हजार रूपये से अधिक नहीं होगी।
2. नामित पदाधिकारी द्वारा सेवा उपलब्ध कराने में विलम्ब करने की स्थिति में–दंड दो सौ पचास रूपये प्रति विलम्ब के दिन के हिसाब से होगा परन्तु किसी भी मामले में कुल दंड पाँच हजार रूपये से अधिक नहीं होगा।

उल्लेखनीय है कि किसी भी व्यक्ति पर दंड लगाने से पहले उन्हें सुनवाई का अवसर प्रदान करने का प्रावधान भी है।

20. प्रश्न :– क्या अधिनियम एवं नियमावली में प्रस्तावित दंड व्यक्तिगत है अथवा सामूहिक?

उत्तर :–दंड व्यक्तिगत भी हो सकता है और सामूहिक भी। यथा, अगर सेवा में विलम्ब केवल नामित पदाधिकारी की लापरवाही से होता है तो दंड केवल उस लापरवाह पदाधिकारी पर ही लगाया जायेगा। लेकिन अगर इसके लिये उनके कनीय कर्मचारी भी जिम्मेदार है तो दंड सामूहिक होगा और दंड के अनुपात का निर्णय यथास्थिति अपीलीय प्राधिकार या पुनर्विलोकन प्राधिकार अपने विवेक से करेंगे।